न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2020

उनवान

1. प्रमोदकुमार पारीक उर्फ रोहिताश पुत्र स्व0 मदनलाल जाति पारीक निवासी छापुडा कला तह. शाहुपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश दिनांक 19.8.2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 165 से 176, 598, 599 व 1623 कुल किता 15 रकबा 4.54 है0 भूमि वाके ग्राम छापुडाकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है । जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी व उसकी माता सोमली पत्नि स्व0 मदनलाल के नाम दर्ज है। उक्त भूमि जरिये विरासत दर्ज हुई थी । प्रार्थी को बचपन में बोलता नाम रोहिताश के नाम से पुकारा जाता था लेकिन प्रार्थी के स्कूल दस्तावेजात, मूलनिवास, मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में प्रमोदकुमार पारीक नाम दर्ज है । विरासत का नामान्तकरण खुलने के समय भी वादी का नाम राहिताश दर्ज हो गया । स्व0 मदनलाल के प्रार्थी व उसकी माता सोमली के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं रहा है। विरासत का नामान्तकरण खुलने के समय प्रार्थी नाबालिंग था तथा प्रार्थी की माता अनपढ़ होने से प्रार्थी के बोलते नाम रोहिताश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि स्कूल दस्तावेजात, मूलनिवास, मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में प्रमोदकुमार पारीक नाम दर्ज है, प्रमोदकुमार पारीक व रोहिताश एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड व सरकारी दस्तावेज में अलग अलग नाम होने से काफी कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का अलग अलग नाम होने से बैंक लोन देने से मना कर दिया गया । पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का ने नाम दुरूस्ती करने से मना कर दिये जाने पर दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2020/ 1670 दिनांक 13.7.20 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रमोदकुमार पारीक व रोहिताश एक ही व्यक्ति है। स्व0 मदनलाल के प्रमोदकुमार पारीक व उसकी माता सोमली के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं रहा है।वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसकी माता के नाम भूमि शामलाती में दर्ज है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि प्रार्थी को बचपन में बोलता नाम रोहिताश के नाम से पुकारा जाता था लेकिन प्रार्थी के स्कूल दस्तावेजात, मूलनिवास, मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में प्रमोदकुमार पारीक नाम दर्ज है । विरासत का नामान्तकरण खुलने के समय भी वादी का नाम राहिताश दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा राजस्व रिकार्ड व सरकारी दस्तावेज में अन्तर होने से बैक ऋण आदि प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के नाम विरासत से भूमि प्राप्त होना तथा राजस्व रिकार्ड में रोहिताश के नाम से भूमि दर्ज होना साबित होता है तथा स्व0 मदनलाल के उनकी पत्नि सोमली देवी व प्रार्थी स्वंय के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना साबित होता है तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में भी यही जाहिर किया है कि स्व0 मदनलाल के उनकी पत्नि सोमली देवी व प्रार्थी स्वंय के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है ।इससे यह स्पष्ट होता है कि स्व0 मदनलाल की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम रोहिताश बोलता नाम दर्ज कर दिया गया जबकि सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम प्रमोदकुमार पारीक ही है तथा दोनो एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 165 से 176, 598, 599 व 1623 कुल किता 15 रकबा 4.54 है0 भूमि वाके ग्राम छापुडाकलां तहसील शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड में रोहिताश पुत्र स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण के स्थान पर प्रमोदकुमार पारीक पुत्र स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी छापुडाकलां के नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 19.8.2020 को सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
जिला जयपुर